

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 604] No. 604] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2016/भाद 9, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2016/BHADRA 9, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 838(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पिठत उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित तालिका में क्रम सं० 1-3 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को कंडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में 31-03-2018 (2016-18) की अविध के लिए नियुक्त करती है:-

तालिका

1.	श्री रंछोड़भाई चनाभाई फाल्दू	एमपीटी अधिनियम,1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के
	के-9, सर्किट हाउस के सामने, सेक्टर - 19, गांधी नगर,	अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
	गुजरात	
2.	श्री मावजीभाई भीखाभाई सोराथिया	एमपीटी अधिनियम,1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के
	"विजय" प्लॉट सं० 84, सेक्टर न० 2, गुजरात विद्यालय के	अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
	सामने, गांधीधाम - कच्छ	
	गुजरात - 370201	
3.	श्री राजगोर भारतभाई देवजीभाई	एमपीटी अधिनियम,1963 की धारा 3 (1)(ग)(i)(7) के
	वरणदावन मार्किट के पीछे, हाईवे रोड, संतालपुर	अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित के प्रतिनिधि
	जिला - पाटन	
	गुजरात - 385350	

4227 GI/2016 (1)

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

[फा. सं. एलबी-11013/11/2015-एल]

बरूण मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2016

G.S.R. 838(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub- section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against serial number 1-3 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for the period up to 31.03.2018 (2016-18):-

TABLE

1.	Shree Ranchhodbhai Chanabhai Faldu	Representing Other Interest as envisaged under section
	K-9, Opp. – Circuit House	3(1)(c)(i)(7) of the MPT Act, 1963.
	Sector -19, Gandhi Nagar	
	Gujarat	
2.	Shri Mavjibhai Bhikhabhai Sorathia	Representing Other Interest as envisaged under section
	"VIJAY" Plot No. 84, Sector No. 2	3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
	Opp. Gujarat Vidhyalaya, Gandhidham-Kachchh	
	Gujarat – 370201	
3.	Shri Rajgor Bharatbhai Devjibhai	Representing Other Interest as envisaged under section
	Behind Vrundavan Market	3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
	Highway Road, Santalpur	
	Distt. Patan	
	Gujarat - 385350	

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/11/2015-L] BARUN MITRA, Jt. Secy.